सा.अ. 37 / एचओ / आईएलएफ / शिमला /

28 अप्रैल 2022

खानपान सेवाओं के लिए ई–निविदा

अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, 2022
(16–18 जून, 2022 तक)
रिज, शिमला, हिमाचल प्रदेश

भारत की 'नेशनल एकेडेमी ऑफ लेटर्स' साहित्य अकादेमी साहित्यिक संवाद, प्रकाशन और उसका देशभर में प्रसार करने वाली केंद्रीय संस्था है तथा सिर्फ यही ऐसी संस्था है जोकि भारत की 24 भाषाओं, जिसमें अंग्रेजी भी सम्मिलित है में, साहित्यिक क्रियाकलापों का पोषण करती है। अकादेमी, शिमला में **अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव (ILF–2022)** का आयोजन कर रही है, जिसमें देश विदेश के लोक कलाकारों के अलावा लगभग 450 लेखकों, आलोचकों, अनुवादकों और कवियों के सम्मिलित होने की संभावना है। लगभग 600 मेहमान / वीआईपी / वीवीआईपी को 16.06.2022 से 18.06.2022 तक रिज, शिमला में भोजन उपलब्ध कराने के लिए अकादेमी अनुभवी, सक्षम और प्रतिष्ठित ठेकेदारों से ई–निविदा एवं हार्ड कॉपी निविदा आमंत्रित कर रही है। लागू करों को अलग से उद्धृत किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	दोपहर का भोजन	व्यक्ति	चाय	दिनों की संख्या
1	मध्याह्न 12.30 से अपराह्न 3.00	600	पूर्वाह्न 9.30 से सायं 6.00 बजे तक	16.06.2022 से 18.06.2022 तक (3 दिन तक)
2	मध्याह्न 12.30 से अपराह्न 3.00	600		
3.	मध्याह्न 12.30 से अपराह्न 3.00	600		
आवश्यकता के आधार पर 10% का अतिरिक्त प्रावधान किया जा सकता है				
मेन्यू (केवल शाकाहारी भोजन) दैनिक आधार पर बदला जाएगा				
700–800 व्यक्तियों के लिए -एक डिनर परोसे जाने का भी प्रावधान रखा जा सकता है।				

कौन भाग ले सकता है

कोई भी एजेंसी / फर्म / कैटरर जिसे भारत में खानपान सेवाओं का अनुभव है। सरकारी एजेंसियों को इस संबंध में अपने कोटेशन प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

साहित्य अकादेमी
(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन)
35, फ़ीरोजशाह रोड, रवींद्र भवन, नई दिल्ली–110001
दूरभाष संख्या : 011–23386626–28
ईमेल : secretary@sahitya-akademi.gov.in
वेबसाइट : www.sahitya-akademi.gov.in

निविदा जमा करने के नियम और शर्तें

1. निविदाकर्ता को 09 मई, 2022 को सायं 5:00 बजे तक या उससे पहले दरों के साथ निविदा सचिव, साहित्य अकादेमी, रवींद्र भवन, 35, फ़ीरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली –110001 के पते पर जमा करनी होगी।

2. निविदा में निम्नलिखित सूचनाएँ होनी चाहिए :

I.	एजेंसी / कंपनी का प्रोफाइल	संलग्न	हाँ	नहीं
II.	इन–हाउस तकनीक जनशक्ति / कर्मचारी विवरण	संलग्न	हाँ	नहीं
III.	इसी तरह की घटनाओं का ट्रैक रिकॉर्ड / विवरण निष्पादित	संलग्न	हाँ	नहीं
IV.	निविदाकर्ता को यह वचन देना होगा कि उसे कभी भी भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय / विभाग / प्राधिकरण / संगठन / एजेंसी आदि द्वारा काली सूची में डाला नहीं गया है	संलग्न	हाँ	नहीं
V.	विगत 3 वर्षों अर्थात् 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 का प्रामाणिक वित्तीय विवरण।	संलग्न	हाँ	नहीं
VI.	निविदा शुल्क रु.5000 / – के रूप में केवल डिमांड ड्राफ्ट सचिव, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली सरकार के पक्ष में देय होना चाहिए।	संलग्न	हाँ	नहीं
VII.	नवीनतम आयकर निकासी प्रमाणपत्र / आईटीआर और पैन की कॉपी।	संलग्न	हाँ	नहीं
VIII.	3,00,000 / – रुपये की ईएमडी (तीन लाख रुपये) केवल) केवल डिमांड ड्राफ्ट के रूप में सचिव, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली के पक्ष में देय होगी। सरकारी नियम और विनिमय के अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने की छूट दी जाएगी।	संलग्न	हाँ	नहीं
IX.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र	संलग्न	हाँ	नहीं
ईएमडी असफल निविदाकारों को शीघ्रातिशीघ्र एक माह के भीतर लौटा दी जाएगी।				

3. निविदा प्रस्तुत करना :

3.1 बोली सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसके ऊपर उद्धरण लिखा हो। शिमला में ILF–2022 के लिए खानपान सेवाएँ।

3.2 बोली 11 मई को अपराह्न 03-00 बजे बोलीदाताओं की उपस्थिति में या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष साहित्य अकादेमी के तृतीय तल स्थित सम्मेलन कक्ष में खोली जाएगी।

3.3 समिति अपेक्षित कार्य करने के लिए एजेंसी की क्षमता का आकलन उसके गुणवत्तापूर्ण कार्य, प्रोफ़ाइल और अनुभव को देखकर करेगी।

3.4 सचिव, साहित्य अकादेमी जो सक्षम प्राधिकारी हैं का निर्णय अंतिम और स्थायी होगा।

3.5 निविदा दस्तावेज साहित्य अकादेमी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है **http://sahitya-akademi.gov.in**

4. इस संबंध में कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा विधिवत रूप से बिल को सफलतापूर्वक जाँचने के उपरांत उसे प्रमाणित/अनुशंसित करने पर उसका भुगतान पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से किया जाएगा।

5. निविदाकारों को कार्य/संविदा/ को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय प्रस्ताव वापस लेने या नियम और शर्तों को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि निविदाकर्ता दरों को उद्धृत करने के बाद यहां दी गई शर्तों का पालन उससे पीछे हटता है तो, करने में विफल रहता है या, अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट की उक्त राशि (ईएमडी) साहित्य अकादेमी द्वारा ज़ब्त कर ली जाएगी।

6. मूल्य या बयाना राशि के ब्याज के संबंध में साहित्य अकादेमी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा।

7. सफल बोलीदाता को सुरक्षा राशि की 5% राशि के बराबर का डिमांड ड्राफ्ट ईएमडी की राशि घटाकर कार्य/अनुबंध करने हेतु उसे कार्य दिए जाने के 10 दिनों के भीतर सचिव, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली के नाम जमा करना होगा।

जारी पेज–4 - पर

7.1 अनुबंध के उल्लंघन या लापरवाही या किसी भी शर्त का पालन न करने की स्थिति में या असंतोषजनक प्रदर्शन पर साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर जमानत जब्त की जा सकती है।

7.2 अनुबंध की समाप्ति पर, उक्त सुरक्षा जमा का ऐसा भाग जो साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी को लगे कि वह फर्म के बिलों पर गलत या अधिक भुगतान से संबंधित है तो वह समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उसकी जाँच होने तक बिलों के भुगतान को रोक सकता है।

8. **पेनल्टी** : यदि बोलीदाता अकादेमी की आवश्यक व्यवस्था करने में विफल रहता है तो साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी एजेंसी को देय राशि से अनुबंधित मूल्य की 2% राशि की कटौती करेंगे।
9. **अप्रत्याशित घटना** : यदि इस अनुबंध के जारी रहने के दौरान किसी भी समय, इस अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व को किसी भी पक्ष द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से रोका गया या किसी युद्ध या शत्रुता के कारण विलंबित, सार्वजनिक शत्रु के कार्य, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल, तालाबंदी या प्राकृतिक आपदा (बाद में घटनाओं के रूप में संदर्भित) ने ऐसी किसी भी घटना की सूचना 21 दिनों के भीतर किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को उस घटना की सूचना दी जाती है तो उसके घटित होने पर, कोई भी पक्ष ऐसी घटना के कारण अनुबंध समाप्त करने का हकदार नहीं होगा। इस अनुबंध के संबंध में और न ही किसी भी पक्ष के पास दूसरे के खिलाफ नुकसान के लिए कोई दावा होगा। इस तरह के गैर–प्रदर्शन या प्रदर्शन में देरी, और डिलीवरी को फिर से शुरू कर दिया गया है को अंतिम या निर्णायक नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, यदि प्रदर्शन संपूर्ण या किसी भाग का है तो इस अनुबंध के तहत दायित्व को ऐसी किसी भी घटना के कारणों से रोका या विलंबित किया गया तो पार्टी अनुबंध समाप्त माना जाएगा।

9.1 बशर्ते यह भी कि यदि इस खंड के तहत अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है, तो साहित्य अकादेमी को उसके द्वारा तय की जाने वाली कीमत पर आपूर्तिकर्ता से अधिग्रहण करने की स्वतंत्रता होगी जो साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई है, तथा वह अन्तिम रूप से ठेकेदार की असंतोषजनक सेवाओं के कारण यदि उचित समझें तो खरीदे गए घटकों संबंधी मामलों पर अपना अंतिम निर्णय ले सकते हैं।

जारी पेज–5 पर

10. **दिवालिया आदि** : फर्म के दिवालिया होने या अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर होने की स्थिति में या किसी अन्य आदेश के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी एक्ट के अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा कोई संकल्प पारित करने या कोई आदेश देने के मामले में चाहे स्वैच्छिक हो या किसी अन्य कारण से अनुबंध को समाप्त करने, या फर्म द्वारा अनुपालन करने में विफल रहने की स्थिति में साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट शर्तों में से किसी को भी बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।

11. **नियमों और शर्तों का उल्लंघन** : उक्त किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए कार्यादेश रद्द कर सकता है तथा अकादेमी की ओर से कुछ भी देय नहीं होगा। ऐसी स्थिति में साहित्य अकादेमी द्वारा जमानत राशि भी जब्त कर ली जाएगी।

12. **कार्य को किराए पर देना** : निविदा हस्तांतरणीय नहीं है। फर्म दिए गए कार्य या उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को किराए पर नहीं दे सकती। केवल एक निविदा होगी तथा केवल एक बोलीदाता द्वारा को ही कार्य दिया जाएगा।

13. **कार्य की स्थिति के संबंध में सूचना मांगने का अधिकार** : साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी को दिए गए अनुबंध की प्रगति से संबंधित सूचना मांगने का अधिकार होगा।

14. **अस्वीकरण** : साहित्य अकादेमी के कर्मचारियों और उनके रिश्तेदार इस निविदा में भाग लेने के लिए प्रतिबंध है। इस उद्देश्य के लिए निकट संबंधियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

    (ए) एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य'

    (बी) उनके जीवनसाथी'

    (सी) पिता, पुत्र (ओं), पुत्र की पत्नी, बेटियों तथा बेटियों के पति, भाई और भाई की पत्नी, बहनें और बहन का पति से संबंधित।

15. **मध्यस्थता** : यदि इस समझौते के संबंध में कोई मतभेद उत्पन्न होता है, तो इसकी व्याख्या इसके तहत भुगतान किया जाना है, उसका निपटान आपसी और वार्ता परामर्श से किया जाएगा। यदि सुलह के प्रयास 30 दिनों की अवधि के भीतर कोई परिणाम नहीं देते हैं तो दोनों में से कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष से अनुरोध कर सकता है कि वह साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष द्वारा एक मात्र न्यायधिकरण विवाद के निबटान हेतु नियुक्त करे। इस तरह के अनुरोध के साथ तीन व्यक्तियों के नामों के पैनल से एकमात्र मध्यस्थ का चयन किया जाएगा। ऐसे मध्यस्थ के मना करने के मामले में या अनिच्छुक या कार्य करने में असमर्थ होने या उसका जनादेश कानून के तहत समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में, एक अन्य मध्यस्थ को उसी तरीके से तीन नामों के पैनल में से नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थता कार्यवाही नई दिल्ली में की जाएगी तथा वह अंग्रेजी में की जाएगी। इस प्रकार की कार्यवाही के लिए मध्यस्थता के प्रावधान और सुलह अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम लागू होंगे।

16. **कानूनी क्षेत्राधिकार** : अनुबंध तथा इसके अंतर्गत समस्त दायित्वों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत माना जाएगा तथा किसी भी विवाद के निबटान की स्थिति में अन्य न्यायलयों को छोड़कर उस विवाद का निबटान दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर स्थित न्यायालय में किया जाएगा।

(संजय कुमार)
उपसचिव (प्रशासन)

साहित्य अकादेमी की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए